77/16 हुन्दर VS मन्नू

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10/10/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप० नहीं। वकील रेस्पो० उप०। वकील अपीलान्ट को बार-बार कई बार आवाजें दिलवायी गई, किन्तु बावजूद पुकार वकील अपीलान्ट अथवा स्वयं अपीलान्ट कोई उप० नहीं आया। लिहाजा यह अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की जाती है। इसके अलावा प्रकरण काफी पुराना है और वकील अपीलान्ट द्वारा कई बार ताकीद किए जाने के उपरान्त भी न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति नहीं की जा रही थी। इसके अलावा स्वयं अपीलान्ट ने [illegible] दिनांक 10/7/23 की रोशनी में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10-7-23 पेश कर यह अंकित किया था कि मृतक रेस्पो० नं०-2 के वारिसानों की जानकारी उसे नहीं है। जबकि यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करने का दायित्व वादी पर ही बना रहता है। इस प्रकार रेस्पो० की तलबी के वकील अपीलान्ट का इन्कार किया जाना एक निश्चित दिनांक को अपने ही प्रकरण में पैरवी के लिये<br><br>NEXT → | एडवोकेट<br>[signature]<br>रेस्पो० No 6 |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | उपस्थित नहीं होना अपीलान्ट का अपने प्रकरण मे कोई दिलचस्पी नहीं होना जाहिर करता है ऐसी स्थिति मे यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं नोन-कम्पलायन्स मे खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद प्रति दाखिल दफ्तर की जावे | |

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर